# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-19122020-223779 CG-DL-W-19122020-223779

### साप्ताहिक/WEEKLY

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 19—दिसम्बर 25, 2020 (अग्रहायण 28, 1942) सं. 51] No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 19—DECEMBER 25, 2020 (AGRAHAYANA 28, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची				
,	पृष्ठ सं.	ч	गृष्ठ सं.	
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के		छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक	•	
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की		आदेश और अधिसूचनाएं	*	
गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा		भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों		
संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	839	(जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय		
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के		प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		
मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की		छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक		
गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों,		नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य		
पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में		स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी		
अधिसूचनाएं	861	प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत		
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय <sup>ं</sup> द्वारा जारी किए गए संकल्पों		के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित		
और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में		होते हैं)	*	
अधिसूचनाएं	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक		
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी		नियम और आदेश	*	
अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों,		भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और		
छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1915	महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल		
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध		
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों		और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई		
का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	6 ·	1407	
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों		भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और		
के बिल तथा रिपोर्ट	*	डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	*	
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों		भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन		
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय		अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*	
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों		
छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक		द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन		
नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और		और नोटिस शामिल हैं	365	
उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों		
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों		द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	1681	
(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों	*1*	
प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		को दर्शाने वाला सम्पूरक	*	

### **CONTENTS**

	Page	1	Page
	No.		No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and		by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	839	Part II—Section 3—Sub-Section (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than	
by the Supreme Court	861	Administration of Union Territories)	*
and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
Part I—Section 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1915	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by	
Part II—Section 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	Attached and Subordinate Offices of the	
Part II—Section 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	Government of India  Part III—Section 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	1407
Committee on Bills	*	PART III—Section 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the		Part III—Section 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	365
Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private	1601
Part II—Section 3—Sub-Section (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		Individuals and Private Bodies  Part V—Supplement showing Statistics of Births and  Deaths etc. both in English and Hindi	1681

<sup>\*</sup>Folios not received.

### भाग I—खण्ड 1 [PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

परमाणु ऊर्जा विभाग (परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसन्धान निदेशालय)

हैदराबाद-500016, दिनांक 27 नवम्बर 2020

सं. पखिन-25/13/2020-प्रशा./1408—खिनज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के अंतर्गत कार्य निष्पादन हेतु प्राधिकृत अधिकारी के रूप में परमाणु खिनज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के अधिकारियों को प्राधिकृत करने के लिए खिनज संरक्षण और विकास नियम, 2017 के अधीन नियम 3 (1) (ग) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शिक्तयों का उपयोग करते हुए, मैं एतद-द्वारा खिनज संरक्षण और विकास नियम, 2017 एवं उस नियम/उन नियमों से संबंधित मामलों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए "प्राधिकृत अधिकारी" के रूप में परमाण् खिनज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय के अधिकारियों को निम्नानुसार प्राधिकृत करता हूँ:——

क्र. सं.	प्राधिकृत अधिकारी	एमसीडीआर, 2017 के तहत नियमों के लिए प्राधिकृत
1.	प्रधान, खनन नियामक वर्ग	27(2), 27(3), 27(4), 27(5), 27(6)
2.	प्रभारी, खनन नियामक वर्ग	27(2), 27(3), 27(4), 27(5), 27(6)

यह आदेश अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा ।

दीपक कुमार सिन्हा निदेशक

# DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY (ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH)

Hyderabad-500 016, the 27th November 2020

No.AMD-25/13/2020 – Admn./1408—By virtue of powers vested in me under Rule 3(1)(c) of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 to authorise officers of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research as "Authorised Officer" to perform the functions under Mineral Conservation and Development Rules, 2017, I hereby authorise the following officers of Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research as "Authorised Officer" to take action in respect of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 and the matters relating to rule/rules as mentioned below:—

Sl.No.	Authorised officer	Authorised for Rule(s) under MCDR, 2017
1.	Head, Mining Regulatory Group	27(2), 27(3), 27(4), 27(5), 27(6)
2.	In-charge, Mining Regulatory Group	27(2), 27(3), 27(4), 27(5), 27(6)

The order shall come into force with effect from the date of publication in the official Gazette.

DEEPAK KUMAR SINHA Director